कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.एस.टी.) के अंतर्गत विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी.) के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ तथा देश में एस. एंड टी. गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ावा देने हेतु एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के लिए की गई थी। डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तथा उसके द्वारा वस्तुत: वित्त पोषित 28 स्वायत्त निकाय हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

सार्वजनिक धन पर स्वायत्त निकायों की पर्याप्त निर्भरता, जो उनके मामलों के संचालन में सरकार के निर्देशों के अनुपालन को जरूरी बनाता है, को ध्यान में रखते हुए 2009 से 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए डीएसटी के 19 चयनित स्वायत्त निकायों के विनियमन, प्रशासनिक कामकाज और निरीक्षण का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

मुख्य निष्कर्ष

चयनित स्वायत्त निकायों के विनियमन, प्रशासनिक कार्य एवं निरीक्षण पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

स्वायत्त निकायों का विनियामक रूपरेखा

सामान्य वित्त नियमावली के नियम 208 के अनुसार मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना मंत्रालयों अथवा विभागो द्वारा किसी नये स्वायत्त संस्थान का सृजन नही किया जाना चाहिए। हमने पाया कि इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मैटलर्जी, हैदराबाद मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना पंजीकृत सोसायटी है। डी.एस.टी. ने इस केन्द्र को 2009-14 के बीच ₹ 241.04 करोड की राशि संस्वीकृत किया था।

(पैरा 2.2.1)

बोस संस्थान, कोलकाता, जो सोसायटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत था, ने पश्चिम बंगाल सोसायटीज एक्ट 1961 के प्रावधानो का अनुपालन नही किया। इसके बावजूद डी.एस.टी. ने संस्थान को सहायता अनुदान जारी किया था।

(पैरा 2.2.2)

1988 से 2011 की अवधि के दौरान प्रोद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद, दिल्ली का चार बार पुनर्गठन किया गया। फिर भी इस प्रकार के पुनर्गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी, जैसा कि परिषद के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आवश्यक था, चार अवसरो में से तीन पर प्राप्त नही की गई थी।

(पैरा 2.3.1)

स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली

17 स्वायत्त निकाय वित्त मंत्रालय के उन निर्देशों का पालन करने में असफल रहे जिनके अनुसार वित्तीय प्रभाव वाले मामलों में शासी निकायों की शक्तियों के बारे में प्रतिबंधात्मक खंडों को नियमों और उप नियमों में शामिल किया जाना था।

(पैरा 3.2)

यदयपि स्वायत्त निकायों को पदों के सृजन अपग्रेड करने क कोई अधिकार नहीं है, तथापि 11 स्वायत्त निकायों द्वारा 486 पद सृजित अपग्रेड किए गए थे।

(पैरा 3.3.1)

13 स्वायत्त निकायों द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावलियों में सरकार के नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन किया गया था जिसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी नहीं प्राप्त की गई थी।

(पैरा 3.4.3)

जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरू तथा श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम शैक्षिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे के अंगीकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों/अनुदेशों का

पालन करने में असफल रहे। उच्चतर वेतन स्केल को अपनाने का परिणाम शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति पर ₹ 6.43 करोड के अधिक व्यय के रुप में हुआ।

(पैरा 3.4.6, 3.4.7(बी) एवं 3.5.1(ii))

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, द्वारा फ्लेक्सिबल कंप्लीमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति प्रदान करने में अनियमितता का परिणाम ₹ 8.70 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।

(पैरा 3.5.4)

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम ने अपने कर्मचारी को क्लीनिकल रिसर्च भत्ता एवं लर्निंग रिसोर्स भत्ते का अनधिकृत भुगतान किया, जिसका परिणाम ₹ 6.86 करोड के अनियमित व्यय के रुप में हुआ। संस्थान ने अपने अपात्र कर्मचारियों को हास्पिटल रोगी परिचर्या भत्ता के रुप में ₹ 1.53 करोड का भुगतान भी डी.एस.टी. से मंजूरी लिए बिना किया।

(पैरा 3.6.1 एवं 3.6.2)

तीन स्वायत्त निकायों ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिया, जिसका परिणाम ₹ 3.41 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।

(पैरा 3.7.2)

डी.एस.टी. का निगरानी कार्य

डी.एस.टी. द्वारा अपने 17 चयनित स्वायत्त निकायो मे से किसी का भी समानांतर समीक्षा नहीं किया गया था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 (6) में परिकल्पना की गई थी।

(पैरा 4.2)

डी.एस.टी. द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किए गए संस्वीकृति पत्रों में अनुदानों की प्रकृति अर्थात आवर्ती अथवा गैर आवर्ती पृथक नही किया गया था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209(5) में कहा गया था।

(पैरा 4.3)

स्वायत्त निकायों द्वारा डी.एस.टी. को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्यों के बारे में उपलब्धियों के साथ साथ वास्तविक व्यय एवं भंडार व परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को, एजेंसियों को, कर्मचारियों को गृह निर्माण एवं वाहन की खरीद आदि हेतु दिए गए ऋण एवं अग्रिम का ज़िक्र नहीं था जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लिखित था।

(पैरा 4.4)

वार्षिक लेखापरीक्षा हेतु डी.एस.टी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने मे 39 प्रतिशत से लेकर 61 प्रतिशत तक की कमी थी।

(पैरा 4.5)

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक स्वायत्त निकाय को मंत्रीमंडल की अनुमति के बिना बनाया था, एक स्वायत्त निकाय ने राज्य एक्ट के आवश्यक प्रावधानों को नहीं अपनाया जिसके वजह से राज्य एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना में विसंगतियां थी। इन स्वायत्त निकायों द्वारा आवश्यक कानूनी अनुपालना को जांचे बिना ही डी.एस.टी. ने इन स्वायत्त निकायों को, दिनचर्या तरीके से, अनुदान देना जारी रखा। चयनित स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली लागू नियमों व प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पदों की सृजनता, नियुक्ति, वैज्ञानिकों की पदोन्नति नियम, स्टॉफ पात्रता, सेवानिवृत मामलों तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन था। डी.एस.टी. का अपने स्वायत्त निकायों के ऊपर निगरानी नियंत्रण कमजोर था। जीएफ़आर के प्रावधानों के अनुसार कोई समानांतर समीक्षा नहीं की गई थी, जिसके कारण स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन के परिमाण का मूल्यांकन नहीं किया गया। डी.एस.टी. द्वारा अनुदानों के भुगतान हेतु संस्वीकृति पत्रों में अनुदानों की प्रकृति स्पष्ट नहीं की। स्वायत्त निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के जमा करने की निगरानी लचर थी। 19 स्वायत्त निकायों द्वारा डी.एस.टी. को प्रस्तुत किए गए

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से किसी में विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों के बारे में उपलब्धि निहित नहीं थी। डी.एस.टी. द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने में कमी थी।

सिफारिशों का सार

डी.एस.टी. इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलार्जी एण्ड न्यू मेटिरियल, हैदराबाद के एक स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापना हेतु तथा इसकी निरंतरता को नियमित करने के लिए मंत्रिमण्डल से कार्योतर अनुमोदन प्राप्त करें तथा सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकायों के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है।

डी.एस.टी. प्रत्येक स्वायत्त निकाय के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा विनियमों का निरीक्षण करें तथा उक्त के प्रावधानों में लागू केन्द्र/राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से अनुरुपता को सुनिश्चित करे।

डी.एस.टी. स्वायत्त निकायों के बाई लॉज में संबंधित धाराओं, जिनमें इन स्वायत्त निकायों के शासी निकायों/परिषदों द्वारा पदों के सृजन, भर्तियों, पदोन्नतियों, सेवानिवृतियों, स्टॉफ अनुदान/ अधिकार और अन्य प्रशासकीय मामलों में उपयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा वर्णित होती है के समावेश को सुनिश्चित करे।

डी.एस.टी. विश्वविद्यालयों के रुप में मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकायों की आय संरचना पर यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुसरण को सुनिश्चित करें।

डी.एस.टी. अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सभी स्वायत्त निकायों की समान्तर समीक्षा के संचालन हेतु तंत्र विकसित करे। डी.एस.टी. अपने आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ करे।